पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 93/2022

अनवान :

1. संजय पुत्र लीलूराम जाति कुम्हार निवासी जाटान त0 भादरा हाल पटेल नगर हिसार जिला हिसार हरियाणा।

:— **वादी**

व ना म

1. लीलूराम पुत्र हरचंद जाति कुम्हार निवासी जाटान त0 भादरा।
2. प्रेमसिंह पुत्र लीलूराम जाति कुम्हार निवासी जाटान त0 भादरा।
3. मीरादेवी पुत्री लीलूराम पत्नी महेन्द्र जाति कुम्हार निवासी जाटान त0 भादरा हाल मातृश्याम तहसील व जिला हिसार।
4. मैनादेवी पुत्री लीलूराम पत्नी सुबेसिंह जाति कुम्हार निवासी जाटान त0 भादरा हाल रामपुरा उर्फ रामसरा 3 आरडब्ल्युडी त0 टिब्बी जिला हनु0।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री अमित देहडू एवं वकील प्रतिवादीगण श्री खेताराम कस्वां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 172/172 के खसरा सं0 143/3 की 1.3740है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 लीलूराम के नाम खातेदारी दर्ज है। अतः उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 लीलूराम का नाम कलमज़न किया जाकर वादी संजय, प्रतिवादी सं0 2 प्रेम सिंह पुत्र लीलूराम, प्रतिवादी सं0 3 मीरा देवी व प्रतिवादी सं0 4 मैना देवी को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.06.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़